भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना

'मात्स्यिकी में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन'

परिचय

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत, प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) केंद्रीय क्षेत्र की एक उप-योजना है । इस योजना का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित करना है और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक यानि अगले 4 वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ मात्स्यिकी के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करना है। पीएम-एमकेएसएसवाई भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए कई मौजूदा चुनौतियों और मुद्दों का समाधान करेगी।

.

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- कार्य आधारित पहचान तैयार करके मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित करना
- नेशनल फिशरीस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की पहचान
- संस्थागत वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना
- जलकृषि बीमा अपनाने को प्रोत्साहन
- मात्स्यिकी क्षेत्र की वैल्यू चैन दक्षता में सुधार के लिए मात्स्यिकी सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना
- मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने और विस्तार करने के लिए सूक्ष्म और लघु मात्स्यिकी उद्यमों को प्रोत्साहित करना

लक्षित लाभार्थी

- **मछुआरे, मत्स्य (जलीय कृषि) किसान, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति जो फिशरीज़ वैल्यू चैन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं।**
- **मात्स्यिकी सूक्ष्म और लघु उद्यम के प्रोपराईटी फर्म, पार्टनर्शिप**
- **भारत में पंजीकृत फर्म और कंपनियां, सोसायटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्शिप (एलएलपी), सहकारी समितियां, संघ, ग्राम स्तरीय संगठन जैसे स्व सहायता समूह (एसएचजी), मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) और मात्स्यिकी एवं जल कृषि वैल्यू चैन में संलग्न स्टार्टअप।**
- **एफएफपीओ में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी शामिल हैं।**
- **मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य लाभार्थियों को भी लक्षित लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जा सकता है।**

मुख्य घटक

1-क मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित करना

मात्स्यिकी एक असंगठित क्षेत्र है, इसे धीरे-धीरे एक संगठित रूप दिया जाना चाहिए । इसके लिए मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य श्रमिकों, विक्रेताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रमिकों सहित प्रसंस्करणकर्ताओं आदि जैसे फिशरीज़ वैल्यू चैन से संबंध रखने वालों की कार्य- आधारित पहचान की रजिस्ट्री तैयार की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, एक नेशनल फिशरीस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (एनएफडीपी) बनाया जाएगा, और सभी हितधारकों को इस पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पंजीकरण के अलावा, एनएफडीपी कई अन्य कार्य भी करेगा जैसे कि ऋण और बीमा आवेदनों की सुविधा, वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण आदि। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकतम नामांकन प्राप्त हों, जमीनी स्तर पर आउटरीच क्षमता निर्माण और विस्तार गतिविधियाँ की जाएँगी ।

इसके अलावा, मात्स्यिकी क्षेत्र संबंधी ज्ञान में सुधार के लिए प्रशिक्षण, वित्त संबंधी जानकारी, संस्थागत ऋण के लिए दस्तावेज तैयार करने में सहायता, शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी गतिविधियों के लिए इस घटक के तहत सहायता प्रादन की जाएगी। इसके अलावा 5500 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को व्यवसाय योजना बनाने, आवश्यकताओं और मार्गदर्शन आदि के लिए प्रति सहकारी 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

1-ख जलकृषि बीमा को प्रोत्साहित करना

फसल हानि के जोखिम को कम करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, (भारत सरकार) बीमा कंपनियों के माध्यम से उपयुक्त इंश्योरेंस प्रोडक्टस तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा और परियोजना अवधि के दौरान कम से कम 1 लाख हेक्टेयर जल कृषि के फार्म्स को कवर करने का लक्ष्य रखेगा । जलकृषि बीमा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, 4 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र और उससे कम के फार्मों द्वारा बीमा की खरीद पर इच्छुक किसानों को एक फसल चक्र के लिए 'एकमुश्त प्रोत्साहन' (वन टाईम इनसेनटिव) दिया जाएगा।

एनएफडीपी के माध्यम से 'एकमुश्त प्रोत्साहन' निम्नलिखित तरीके से प्रदान किया जाएगा:

- जलकृषि फार्म के जल विस्तार क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर ₹25,000 की सीमा तक प्रीमियम की लागत के 40% की दर से । एक किसान को देय अधिकतम प्रोत्साहन राशि ₹ 1 लाख होगी तथा प्रोत्साहन के लिए पात्र अधिकतम फार्म का आकार 4 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र है।
- केज कल्चर, रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायो-फ्लोक, रेसवे आदि जैसे अधिक गहन (इनटेनसिव) जलकृषि के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन, प्रीमियम का 40% होगा । अधिकतम प्रोत्साहन ₹1 लाख है और प्रोत्साहन के लिए पात्र अधिकतम इकाई आकार 1800 मी ^{3} होगा।
- 'एकमुश्त प्रोत्साहन' का उपरोक्त लाभ केवल एक फसल अर्थात् एक फसल चक्र के लिए खरीदे गए जलकृषि बीमा के लिए प्रदान किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन सामान्य श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रोत्साहन की तुलना में 10% अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त लाभों से जलकृषि बीमा उत्पादों के लिए एक मजबूत मार्केट तैयार होने की उम्मीद है, तथा इससे बीमा कम्पनियां भविष्य में अन्य मात्स्यिकी गतिविधियों के लिए और अधिक बीमा उत्पाद प्रदान करने में सक्षम होंगी।

2 मात्स्यिकी क्षेत्र की वैल्यू चैन की दक्षता में सुधार के लिए सहायता

इस घटक में निष्पादन अनुदान की एक प्रणाली के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र की वैल्यू चैन दक्षता को सुधारा जाएगा और इसमें संगत विश्लेषण कार्य और जागरूकता अभियान भी सम्मिलित किया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों को उत्पादन में फिर से शामिल होने, महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए नौकरियों का सृजन और रखरखाव करने तथा चयनित वैल्यू चेनों को मापे जा सकने वाले मापदंडो द्वारा निष्पादन अनुदान प्रदान करके वैल्यू चैन की दक्षता में संवृद्धि लाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

निष्पादन अनुदान का स्केल और निष्पादन अनुदान प्रदान करने के मानदंड:

- सूक्ष्म उद्यम के मामले में निष्पादन अनुदान सामान्य श्रेणी के लिए कुल निवेश का 25% या 35 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह अनुदान कुल निवेश का 35% या 45 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
- ग्राम स्तरीय संगठनों और स्व सहायता समूहों, एफएफपीओ और सहकारी समितियों के महासंघों के लिए निष्पादन अनुदान कुल निवेश के 35% या 200 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
- वैल्यू चैन दक्षता में सुधार के लिए व्यय में, नए प्लांट और मशीनरी, तकनीकी सिविल/विद्युत कार्यों सहित ईक्विपमेंट और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण सहित ऊर्जा दक्ष उपकरण के लिए किए गए पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों, इस प्रकार के अन्य हस्तक्षेपों के साथ साथ योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए गए वर्ष में सृजित अतिरिक्त नौकरियों के वेतन बिल शामिल है ।

3 सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन

घटक 3 में मापे जा सकने वाले मापदंडों के आधार पर निष्पादन अनुदान के माध्यम से मात्स्यिकी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करके मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के विपणन में सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना शामिल है।

इस हस्तक्षेप से सुरक्षित मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम से मत्स्य के लिए डोमेस्टिक मार्केट का विस्तार होने की उम्मीद है, जो नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगा और साथ ही विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार का सृजन और रखरखाव भी करेगा।

- सूक्ष्म उद्यम के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए निष्पादन अनुदान कुल निवेश का 25% या 35 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह अनुदान कुल निवेश का 35% या 45 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
- लघु उद्यम के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए निष्पादन अनुदान कुल निवेश का 25% या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला स्वामित्व वाले लघु उद्यमों के लिए यह अनुदान कुल निवेश का 35% या 100 लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

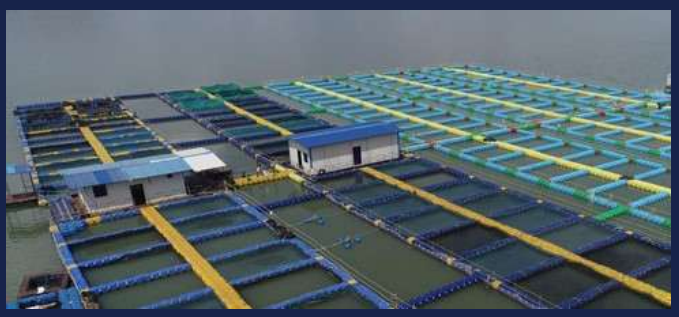

- सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने के लिए व्यय में नए प्लांट और मशीनरी, तकनीकी कार्य एवं संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर, अपशिष्टों संग्रह और उपचार सुविधा, रोग प्रबंधन, सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं, मानकों, प्रमाणन और ट्रेसेबिलिटी, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों और सुरक्षित मत्स्य उत्पादन और आपूर्ति के लिए अन्य निवेशों पर किए गए पूंजी निवेश और योजना के तहत आवेदन के वर्ष में सृजित अतिरिक्त नौकरियों के लिए वेतन बिल शामिल होंगे।

निष्पादन अनुदान संवितरण 2 और 3 के लिए मानदंड

- सृजित एवं अनुरक्षित नौकरियों की संख्या: एक महिला के लिए सृजित एवं अनुरक्षित प्रत्येक नौकरी के लिए प्रति वर्ष ₹ 15,000 की राशि का भुगतान किया जाएगा, इसी प्रकार, एक पुरुष के लिए सृजित एवं अनुरक्षित प्रत्येक नौकरी के लिए प्रति वर्ष ₹10,000 की राशि का भुगतान किया जाएगा, जो कुल पात्र अनुदान के 50% की सीमा होगा।
- किए गए निवेश: घटक 2 के अंतर्गत मूल्य श्रृंखला दक्षता बढ़ाने के लिए तथा घटक 3 के अंतर्गत मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने और विस्तार करने के लिए किए गए निवेश के लिए निष्पादन अनुदान दिया जाएगा तथा निवेश पूरा होने के बाद पात्र अनुदान के 50% की सीमा वितरित किया जाएगा ।

4 परियोजना प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग:

इस घटक के अंतर्गत, पीएम-एमकेएसएसवाई के अंतर्गत परियोजना गतिविधियों के प्रबंधन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाइयां / प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट्स (पीएमयू) स्थापित की जाएंगी।

प्रमुख आउटपुट और आउटकम

- मात्स्यिकी क्षेत्र को क्रमिक रूप से संगठित करना ; कार्य-आधारित पहचान प्रदान करने के लिए नेशनल फिशरीस डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना ।
- मात्स्यिकी में पारंपरिक सब्सिडी से क्रमश: निष्पादन आधारित प्रोत्साहन की ओर शिफ्ट होना ।
- संस्थागत ऋण की बेहतर पहुंच और उपलब्धता।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायता देकर सुरक्षित मत्स्य उत्पादन के लिए वैल्यू चैन दक्षता में सुधार तथा सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना।
- पर्यावरणीय दृष्टि से स्थायी (सस्टेनेबल) पहलों को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनाना।
- व्यापार करने में आसानी और पारदर्शिता में वृद्धि।
- उत्पादन, उत्पादकता को मजबूत करने के लिए जलकृषि बीमा कवरेज के माध्यम से रोग के कारण जलकृषि फसल के नुकसान के रिस्क को कम करना।
- मूल्य संवर्धन, मूल्य सृजन और मूल्य प्राप्ति में वृद्धि के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।
- नौकरियों का सृजन एवं रखरखाव, व्यवसायों का विकास और व्यावसायिक अवसरों का सृजन ।
- नौकरियों के सृजन और सुरक्षित कार्यस्थल द्वारा महिला सशक्तिकरण।

https://dof.gov.in/ FisheriesGoI FisheriesGoI dept_of_fisheries_goi @FisheriesGoI
https://dof.gov.in/ FisheriesGoI FisheriesGoI dept_of_fisheries_goi @FisheriesGoI

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री सागर मेहरा
संयुक्त सचिव
मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
टेलीफ़ोन: 011-23388688
ईमेल: js-inland@dof.gov.in

श्री वी. श्रीनिवास राव
निदेशक
मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 23310350,
@: srveeragandham@ord.gov.in

डॉ. तरुण कुमार सिंह
सहायक आयुक्त
मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार दूरभाष: 011- 23710017,
@: tarunkr.singh@gov.in

डॉ. एलएन मूर्ति
वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक,
एनएफडीबी, हैदराबाद
दूरभाष: + 91-040- 24000201/177
@:drlnmurthy@gmail.com

श्री विजय कुमार यारागल
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी),
एनएफडीबी, हैदराबाद
टेलीफोन: + 91-040- 24000201/177,
@: ed- projects@nfdb.gov.in

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड
टोल फ्री नंबर : 1800-425-1660
कार्य दिवस - सोमवार - शुक्रवार (9:30 पूर्वाह्न - 6:00 अपराह्न) अवकाश - शनिवार और रविवार